FORM III
फर्द अहकाम
(नियम – 26)

राज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम नीमकाथाना

जयराम बनाम अमीचन्द वगै0

मुकदमा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मु0नं0 903 सन् 2023 जीसीएमएस नं.

| हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए |
|---|---|
| | |

रिपोर्ट सरिस्ता होकर पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण की ओर से **श्री जसवन्त सिंह मीणा** एडवोकेट हाजिर। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा दर्ज रजिस्टर किया जावे। वकील प्रार्थीगण ने अनुरोध किया कि प्रकरण अत्यावश्यक प्रकृति का है, तथा प्रार्थीगण के पक्ष में अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित नहीं किये जाने पर प्रार्थना पत्र का उद्देश्य ही असफल हो जायेगा। प्रार्थना पत्र अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के बिन्दु पर वकील प्रार्थीगण को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र की प्रकृति एवं आकस्मिकता को देखते हुए एवं प्रार्थीगण के हितो को ध्यान में रखते हुये अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि **उभय पक्षकारान को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी पेशी तक पाबन्द किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 471 रकबा 10.18 हैक्ट. अवस्थित ग्राम हरजनपुरा पटवार हल्का बासड़ी खुर्द तहसील नीमकाथाना के रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखें।**

**उक्त अन्तरिम टी.आई आदेश सीमाज्ञान /पत्थरगढी के विधिक आदेश की पालना में एवं रास्ता खुलवाने एवं नवीन रास्ता चाहने, विधुत कनेक्शन देने सम्बंधी विधिक प्रकिया की पालना में लागू नही होगी।**

प्रार्थी को निर्देशित किया जाता है कि अप्रार्थीगण के नोटिस की तामील को सामान्य व साधारण प्रक्रिया के साथ साथ अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र दस्तावेज व नोटिस आदि की प्रतियां रजिस्टर्ड डाक से भिजवाना सुनिश्चित करें तथा आगामी पेशी पर इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करें। प्रकरण को स्वच्छ हाथों से प्रस्तुत किया हुआ मानकर तथा एक पक्षीय सुनवाई के आधार पर न्यायालय के विवेकाधीन शक्तियों के तहत यह अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की गई है। लिहाजा प्रार्थी/प्रार्थीगण से यह अपेक्षा की जाती है कि वह उपरोक्तानुसार अप्रार्थीगण पर एक पक्षीय आदेश की तामील की ठोस कार्यवाही करें तथा आदेश 39 नियम, 3 (क) के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करें अन्यथा अन्तरिम आदेश को आयन्दा तारीख पेशी तक विस्तारित करने से पूर्व न्यायालय अपने विवेकाधिकार एवं अन्तर्निहित शक्तियों का प्रयोग करेगा जिन परिस्थितियों में यह अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की गई है, में परिवर्तन की दशा में संशोधन /वैकेट कराया जा सकेगा। अप्रार्थीगण को रजि. नोटिस मय आदेश तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 09.01.2024 को पेश हो।

राजवीर सिंह यादव
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2024.12.02 14:53:26 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

9/1 पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक [illegible] ने आज अदालती कार्य का स्थगन कर रखा है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 27/2/24 को पेश हो।

27/2/24 पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक गण ने आज अदालती कार्य का स्थगन कर रखा है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 12/3/2024 को पेश हो। अप्रार्थी सं 32,33,34,35 की ओर से श्री फतेह सिंह वकील ने जवाब पेश किया।

12/3/24 वकुलाय उप०। वकील प्रार्थी शेष अप्रार्थीगण की तलबी हेतु आवश्यक कार्यवाही करें। नोटिस [illegible] पेश करें। वास्ते तामील पत्रावली दिनांक 14/3/24 को पेश हो।

14/3/24 वकुलाय उप०। वकील प्रार्थी शेष अप्रार्थीगण की तलबी हेतु आवश्यक रूप से वकि. नोटिस तलबाना पेश करें। अन्तिम अवसर दिया जाता है। पत्रावली दिनांक 22/3/24 को पेश हो।

22/3 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उप.। P.O. साहब चुनाव कार्य में व्यस्थ होने से पत्रावली पूर्वआदेशानुसार दिनांक 2/5/24 को पेश हो।

2/5/24 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय [illegible]। P.O साहब दीगर कार्य में व्यस्थ है। पत्रावली पुर्व आदेशानुसार दिनाक 13/6/24 को पेश हो।

Not Press 29/5/24

27/5/24 पत्रावली [illegible] की ओर से प्रार्थना पत्र [illegible] पेश [illegible] वकील प्रार्थी ने [illegible] मध्य आपस में राजीनामा हो गया है अब प्रकरण आगे नहीं चलाना चाहते हैं अतः प्रकरण [illegible] किया जावे।

आभार

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2024.12.02 14:53:26 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नंबर व तारीख अ… जो इस हुक्म … तामील में जारी … |
| --- | --- | --- |
| | वकील प्रार्थी को प्रार्थना पत्र पर सुना गया एव पत्रावली का अवलोकन किया गया। अतः प्रार्थी के प्रार्थना पत्र वकील के अनुरोध पर प्रार्थना पत्र खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो।<br><br>(राजवीर सिंह यादव)<br>**उपखण्ड अधिकारी**<br>**जिला नीमकाथाना (राज.)** | |

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2024.12.02 14:53:26 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner